THE DEPUTY CHAIRMAN: Reports and Minutes of the Railway Convention Committee. Shri P. Upendra Not there. Shri Madhavsinh Solanki. Not present. Is there anybody who is a member of that Committee (*Interruptions*).

श्री सत्य प्रकाश मालवीय: महोदया, एक विशेषाधिकार का प्रश्न है।

उपसभापति: उस से पहले मैंने उन्हें परमिट किया है। प्रिविलेज का प्रश्न?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय: जी हां।

Re. Questions of Privilege

SHRI S. MADHAVAN (Tamil Nadu): Madam Deputy Chairman, the people of Tamil Nadu are agitating for the restoration of Kachatheevu and for their traditional rights of fishing in the historic waters between India and Sri Lanka. The Tamil Nadu Government and all the parties in the State are one on this issue. *(Interruptions)*. . In 1974, when the Indo-Sri Lankan Agreement was placed before the Parliament, the then External Affairs Minister had declared in Parliament that the traditional rights of fishing, navigation and pilgrimage had been fully protected for the future. The present Government also confirmed this statement on the floor of the House. In spite of this, our fishermen are being shot down by the Sri Lankan navy while fishing. I raised this matter during the last Session on 30.3.1995. The hon. Minister told the House that as per the 1974 Agreement, Tamil Nadu fishermen did not have any fishing rights. We protested against the statement. The hon. Minister assured the House that he would verify and place the correct facts before Parliament. *(Interruptions)*. The Agreement of 1974 clearly says that the vessels of India and Sri Lanka will enjoy, in each other's waters, such rights as they have traditionally enjoyed therein. In spite of the fact that this provision was pointed out to the hon. Minister, when I raised the question again, he reiterated the statement, recently, that our fishermen did not have fishing rights under the 1974 Agreement. This is a false statement. It has been made deliberately on the floor of the House, even after the Chair's ruling. This will encourage the Sri Lankan navy to continue to shoot down Tamil Nadu fishermen. In spite of the fact that the Tamil Nadu Government and all the parties in Tamil Nadu protested against it, the present External Affairs Minister insists that we have no right at all. He has forgotten that there is no agreement at all. There is only a letter from the then Indian Foreign Secretary written to the Foreign Secretary of Sri Lanka giving away our fishing rights. There is no word in the Agreement at all. it is a letter, correspondence. Because of this, our rights have been taken away. This is a very, very important matter. The Minister must be asked to come and explain this so that our fishermen will be

THE DEPUTY CHAIRMAN: Malaviya Ji, if you have moved the privilege motion, then whatever action the Chairman takes or informs us, we will let you know.

श्री दिग्विजय सिंह: उपसभापति महोदया, ...(**व्यवधान**)...

उपसभापति: इनका है, मालवीय जी का। I am going to order.

श्री सत्य प्रकाश मालवीय (उत्तर प्रदेश): माननीया उपसभापति जी, श्रीमती विद्या बेनीवाल इस सदन की एक सदस्या हैं और 5 जुलाई, 1995 को वे सिरसा में अपोज़िट सतलुज पब्लिक स्कूल, राम कॉलोनी, बरनाला रोड पर श्री ओम प्रकाश चोटाला जी के घर पर गई। 7:00 बजे सुबह इनके लड़के विनोद बेनीवाल ने इनको वहां पर छोड़ दिया और इन्होंने यह कहा कि थोड़ी देर में आकर ले जाएं। ये वहां किसी पोलिटिकल काम से गई थीं। इनके पहुंचते ही वहां की पुलिस के तीन अधिकारियों ने, जिनके नाम हैं—श्री राम नाथ शर्मा, डी०एस०पी०, सिरसा, श्री पोहान सिंह, इंस्पेक्टर, एस०एच०ओ०, पी०एस० सिटी, सिरसा और एस०एच०ओ०, पी०एस० सदर, सिरसा—इन लोगों ने बाहर से घेर लिया,

न इनको वहां से निकलने दिया और जो लोग इनसे मिलने के लिए आए उनको अंदर नहीं आने दिया। लड़के ने करीब दो घंटे के बाद फोन किया ताकि इनको आकर के वापिस ले जाए, तो इनके घर का फोन कटा हुआ मिला। इनका लड़का इनको लेने के लिए जब वहां पर पहुंचा तो उन तीनों पुलिस अधिकारियों ने कहा कि हमको वहां के सुपरिंटेंडेंट आफ पुलिस के इंस्ट्रक्शन्स हैं कि न तो इस मकान के अंदर किसी को जाने दिया जाए और न इस मकान से बाहर किसी को आने दिया जाए। तब इनके लड़के ने मजिस्ट्रेट के यहां सर्च वारंट के लिए पेटिशन मूव किया और डयूटी मजिस्ट्रेट ने सर्च वारंट इश्यू किया और उनका ऑर्डर है:—

> "In pursuance of the search warrant issued by the court, the Commissioners of the Court produced Smt. Vidya Beniwal, M.P. Her statement was recorded in the court. it is deposed by her that she was illegally detained/confined by the police...."

SHRI V. NARAYANASAMY: The Member should make a brief mention. He is reading out the whole thing. *(Interruptions)*.

SHRI SATYA PRAKASH MALAVIYA: She is a sitting Member of this House. *(Interruptions)*.

श्रीमती सुषमा स्वराज: वहां जाएं तो पुलिस रोकती है, यहां इनका मसला उठाते हैं तो आप रोकते हैं। ...(व्यवधान)...मैं क्यों न बोलूं, मेरे स्टेट से हैं। ...(व्यवधान)...

SHRI SATYA PRAKASH MALAVIYA: This is an order of the Magistrate that she was detained. *(Interruptions)*.

श्रीमती सुषमा स्वराज: वे बैठी हैं यहां पर। ...(व्यवधान)...

SHRI SATYA PRAKASH MALAVIYA: I would be very brief. I have submitted all the certified copies of the court orders. That Magistrate has ordered "that Smt. Vidya Beniwal was confined by the police—the SO (City), the SHO and the other officers at Sirsa" and when she was produced before the court—he has also given a final finding—"that the respondents never allowed the petitioner (respondents means those three police officers) and his companions to meet Smt. Vidya Beniwal, M.P., with whom they had engagements to discuss the present political affairs. The respondent told them that they had been instructed by the Superintendent of Police, Sirsa, not to allow anybody to and fro." Certified copies of all the court documents are here. Smt. Vidya Beniwal is present in the House. Kindly ask her to come over here and say something. I would also request you to straightway send this case to the Privileges Committee.

उपसभापति: ठीक है, वे मैम्बर हैं इस हाउस की। ऐसा है सत्य प्रकाश जी, हमारे हाउस के मैम्बर के साथ कुछ भी होता है, हम लोगों की हमेशा उसमें हमदर्दी होती है, हम हमेशा ही उस पर ध्यान रखते हैं, पर यह प्रोसीज़र है, चेयरमैन साहब जब एक्सेप्ट करेंगे तो ही हम आपको बता सकते हैं।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय: लेकिन यहां मेरा सजेशन यह है कि सारी कोर्ट की फाइंडिंग है, कोर्ट का ऑर्डर है और कोर्ट का जजमेंट है एक तरीके से और उसकी सर्टिफाई कॉपी मैंने दाखिल कर दी है और 6 जुलाई को इनकी ओर से जो तार भेजा गया, वह भी कोर्ट को मिला है कि हमारे जीवन को खतरा है और अगर डिटेंशन हुआ था तो दूसरा प्रिविलेज मूव जो हुआ है ..(व्यवधान)..

श्रीमती विद्या बेनीवाल (हरियाणा): मेरे साथ यह बार-बार कर रहे हैं। ..(व्यवधान)..

श्री दिग्विजय सिंह: बार-बार कर रहे हैं, इनके पति की हत्या हुई है। ..(व्यवधान)..

श्री सत्य प्रकाश मालवीय: इनके पति की हत्या हो गई है। ..(व्यवधान)..

श्रीमती विद्या बेनीवाल: मैडम, ये तीन वाक्ये तो हो चुके हैं।..(व्यवधान)..

AN HON'BLE MEMBER: Let her speak. *(Interruptions)*.

उपसभापति: बेनीवाल जी इस हाऊस की सबसे खामोश मैम्बर हैं:

श्रीमती विद्या बेनीवाल: बार-बार तंग कर रहे हैं एस०पी० बेटे पर भी वाक्‌या करवा दिया है, उसको कोर्ट में रोक लिया गया था। कोई एस०पी० ने एक्शन नहीं लिया है कि उसको गिरफ्तार करूं और केस बनाऊं। वह कह रहे हैं कि मेरे बेटे विनोद बेनीवाल को ही थाने में लेकर आए ताकि हथियारों समेत थाने में दिखाकर उसकी हत्या करवा सकें। **..(व्यवधान)..**

श्रीमती सुषमा स्वराज: इनके साथ वर्षों से हो रहा है। इनके पति की भी हत्या करदी गई थी वहां पर। **..(व्यवधान)..**

श्री सत्य प्रकाश मालवीय: अब इनके बेटे की हत्या की साजिश हो रही है। **..(व्यवधान)..**

श्रीमती विद्या बेनीवाल: वह चाहते हैं कि इसका बेटा न रहे। **..(व्यवधान)..**

श्री एस०एस० अहलुवालिया: मैडम्, बेटे का केस और उसमें भी एम० पी० है। परम्परा तो यही बनती है कि अगर किसी एम०पी० को किसी कचहरी या थाने में कॉल करना है तो पहले वह चेयरमेन के थ्रू नोटिस दे। इस तरह से डायरेक्ट एक एम०पी० का ह्रास करना यह सही नहीं है। **..(व्यवधान)..**परन्तु उनको थाने ले जाकर ह्रास किया जा रहा है कि बेटे को प्रोड्यूज किया जाए। ऐसा क्यों तंग किया जा रहा है। इस पर यहां से आदेश जाने चाहिए महोदया, सदन से आदेश जाने चाहिए। एक एम०पी० को और वह भी महिला एम०पी० को इस तरह परेशान करने का क्या अधिकार है इनको और इनके खिलाफ कोई केस भी नहीं है। **..(व्यवधान)..**

विपक्ष के नेता (श्री सिकन्दर बख्त): पहले हम इनको सुनलें और फिर हम सब कहना चाहते हैं इसके बारे में।

†[شری سکندر بخت: پہلے ہم انکو سن لیں اور پھر ہم سب کہنا چاہتے ہیں انکے بارے میں۔]

श्री इन्द्र कुमार गुजराल: यह इश्यू आफ प्रिविलेज है और इसके लिए नोटिस जाना चाहिए पुलिस इंसपेक्टर को भी, एस०पी० को भी और कंसर्न्ड मिनिस्टर को भी और यह प्रिविलेज इश्यू प्रिविलेज कमेटी को रैफर किया जाए। **..(व्यवधान)..**

श्री जगदीश प्रसाद माथुर: मेरी एक रिक्वेस्ट है कि जल्दी यह मामला तय होना चाहिए।

उपसभापति: बेनीवाल जी, आप बैठिए। **..(व्यवधान)..**

SHRI S. JAIPAL REDDY: Madam, ...

SHRI SIKANDER BAKHT: Jaipal Reddy, let us hear her first.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Sikander Bakht Saheb, she has already said it.

SHRI S. JAIPAL REDDY (Andhra Pradesh): Madam, now the matter has been raised here and the Hosue is undivided on this issue because no party questions arise in this matter, you may also direct the Home Ministry to ask the State Government to make the inquiry into the whole matter in addition to what Gujralji has said.

SHRI INDER KUMAR GUJRAL: Privilege comes first.

सिकन्दर बख्त: सदर साहिबा, मुझे यह कहना है कि यह तो एक बहुत ही एक वाजेह केस है जिसमें सरकार खामोश बैठ सकती ही नहीं। सौ फीसदी मुझे इत्तफाक है गुजराल साहब की बात से कि यह प्रिविलेज का सवाल होना चाहिए और तेज रफ्तारी के साथ इस सवाल पर गौर होना चाहिए। लेकिन मेरा कहना यह है कि यह तो एक इंतहाई blatant खुला हुआ केस है जिसमें किसी किस्म का डिफेंस पेश करना नामुमकिन है। लेकिन मेंगबर आफ पार्लियामेंट के साथ पे-दर-पे एक नहीं एक दर्जन वाक्यात इस किस्म के हो चुके हैं जिसमें मैंबर आफ पार्लियामेंगट की तौहीन इस सिलसिले में हुई है। बदकिस्मती से लगता नहीं कि वह इफेक्टिव है। लगता नहीं कि होम मिनिस्टर ने इस लिसिले में कोई इफेक्टिव कदम उठाए हैं। अफशोसनाक यह है कि तमाम एटीट्यूड, तमाम एप्रोच to the question of the dignity of Member of this House seems to be lying in cold storage. Nobody wants to do anything.

इस सिलसिले में इतना वाजेह और इतना खुला तौहीन आर्मेजवर आफ पार्लियामगेंट का कोई हुआ नहीं होगा। मैं कह रहा हूं कि रवैया ही बेहद खराब है। तो उस रवैये का कोई इलाज होना चाहिए और सख्ती के साथ होना चाहिए और यह केस प्रिविलेज कमेटी में जाए।

†[شری سکندر بخت: صدر صاحب - مجھے یہ کہنا ہے کہ یہ تو ایک بہت ہی واضح کیس ہے جس میں سرکار خاموش بیٹھی نہیں رہ سکتی ہیں - سو فیصدی مجھے اتفاق ہے گجرال صاحب کی بات سے کہ یہ پریویلیج کا سوال ہونا چاہئے اور سختی کے ساتھ اس سوال پر غور ہونا چاہئے - لیکن میرا کہنا یہ ہے کہ یہ تو ایک انتہائی "بیلٹنٹ" کھلا ہوا کیس ہے - جس میں کسی قسم کا ڈفینس پیش کرنا ناممکن ہے لیکن ممبر آف

پارلیمنٹ کے ساتھ جو رہے ایک بہت ایک درجن واقعات اس قسم کے ہو چکے ہیں جس میں ممبر آف پارلیمنٹ کی توہین اس سلسلے میں ہوئی ہے - بدقسمتی سے لگتا نہیں ہے کہ وہ افیکٹیو ہے لگتا نہیں کہ ہوم منسٹر نے اس سلسلے میں کوئی "افیکٹیو" اقدام اٹھائے ہیں - افسوسناک یہ ہے کہ تمام "ایٹی ٹیوڈ" تمام "اپروچ" اس سلسلے میں اتنا واضح اور اتنا توہین آمیز ممبر آف پارلیمنٹ کا کوئی ہوا نہیں ہوگا میں کہہ رہا ہوں کہ اور یہ بہت خراب ہے - تو اس رویہ کا کوئی علاج ہونا چاہئے اور سختی کے ساتھ ہونا چاہئے اور یہ کیس پریویلیج کمیٹی میں جانا چاہئے -]

श्री दिग्विजय सिंह: आप तो खुद उसके मेंबर हैं।

श्री ईश दत्त यादव (उत्तर प्रदेश): मैडम्, सरकार को निर्देश दे दें कि इनकी और इनके बेटे की सुरक्षा की तमाम व्यवस्था हो जाए। यह केस तो मैडम्, इस तरह से बनता है कि इस पर बहुत बहस की गुंजायश नहीं है। हमारी भी प्रार्थना है, पूरे सदन की भावना यही है कि इसको प्रिविलेज कमेटी के सुपुर्द करदें।

श्री भूपेन्द्र सिंह मान (नाम निर्देशित): मैडम्, बहुत केस होते रहे हैं प्रिविलेज, के मुझे भी होता रहा है। जैसे पुलिस ह्रास करती रही है। प्रिविलेज कमैटी को भी जाते रहे हैं। लेकिन आज तक किसी को कुछ नहीं कहा। इस सिलसिले में जब किसी मेंबर के बारे में कुछ होता ही नहीं है, झूंठे केस बनते हैं, प्रिविलेज कमैटी के सामने यह साबित हो जाता है कि झूंठा केस है और फिर भी कुछ नहीं होता। सारे हाऊस का जिस तरह से प्रिविलेज नीचे गिर रहा है, यह तो तौहीन हो रही है।

उपसभापति: मान साहब, आपके मामले के ऊपर प्रिविलेज कमेटी ने रिपोर्ट हाऊस को प्रजेंट की थी। आपके मामले में गिल साहब ने स्वयं प्रिविलेज कमैटी के सामने आकर माफी मांगी थी कि उनसे गलती हुई और प्रिविलेज कमैटी मेंबर्स के प्रिविलेज के बारे में पूरी तरह से जानकारी रखती है और पूरी तरह से मजबूती से उनकी हर बात को उठाती है। उसमें हर पार्टी के मेंबर हैं।

चेयरमैन साहब इस मसले को समझते हैं। He thought that it was a serious matter. He referred it to the Privileges Committee. Before he referred it to the Privileges Committee, he had instructed the Secretariat to write to the people concerned. In this case also he has asked the Secretariat to write to the Home Ministry. I give my assurance to the House that — she is a lady Member of this House — I would see to it, and I will personnaly talk to the hon. Home Minister, that all

† [ ] Transliteration in Arabic script.

protection is given to her. Whatever the chairman sends to the Privileges Committee we will look into it and whatever is necessary, whatever can be done, to protect the privileges of the Member, we will do that.

श्री दिग्विजय सिंह: उपसभापति महोदया

उपसभापति: आपका क्या है? ... **(व्यवधान)**...

श्री भूपेन्द्र सिंह मान: मेरे तीन प्रिविलेज हैं मैडम, एक की बात हुई है। बाकी ऐसे ही पड़े हुए है, इसीलिए कह रहा हूँ। ... **(व्यवधान)**...

श्री सुषमा स्वराज: महोदया, हिंदी में बता दीजिए, उनको समझ आ जाएगा।

उपसभापति: आपका मामला अगर प्रिविलेज में चेयरमैन साहब हमारे पास भेजेंगे तो हम उनको रिकमंड भी करेंग कि वे भेज दें। जो भी उसके अंदर निर्णय होगा, वह हम बता देंगे और जो भी करना होगा, कमेटी आपकी पूरी हिफाजत का ख्याल करेंगी, आपकी इज्जत का, जान का, माल का और होम मिनिस्टर साहब को चिट्ठी गई है और उनसे मैं स्वयं भी बात कर लूंगी। ... **(व्यवधान)**... और भी प्रिविलेज है?

श्री दिग्विजय सिंह: जी, उपसभापति महोदया। मैं एक ऐसे विषय को सदन में उठा रहा हूं जो प्रिविलेज का सवाल है जिस सवाल के ऊपर मैं पूरी सदन और तमाम माननीय सदस्यों का ध्यान खींचना चाहता हूं। यह मामला किसी एक सदस्य का किसी दूसरे सदस्य के खिलाफ नहीं है। यह मामला सदन के सम्मान का सवाल है और जब राजनीतिक जीवन में पिछले कई दिनों से लगातार इस बात पर चर्चा हो रही है कि सार्वजनिक जीवन में जो आदमी है, उसकी जिंदगी किताब के खुले पन्ने की तरह है जिसके हर पन्ने को पढ़ा जा सके, हरेक लाइन को पढ़ा जा सके लेकिन मुझे बड़ा अफसोस हुआ और इसलिए मैंने इस बात की जानकारी पहले लीडर ऑफ अपोज़िशन और तमाम जो यहां के सम्मानित बड़े सदस्य हैं, उनको दी है कि इसी सदन के एक सदस्य ने इस सदन के दूसरे सदस्य के ऊपर वैसे आरोप लगाए है जिस आरोप के बारे में अभी तक हम लोगों को कोई आवश्यक जानकारी देनी हो तो जब सदन चल रहा हो तो सदन के सामने दे। मैं उम्मीद करता था कि अगर ऐसी जानकारी किसी सदस्य के पास है तो उसकी जानकारी भी सदन को दी जाती लेकिन यह काम न करके अखबार के माध्यम से इसी सदन का एक सदस्य अगर यह कहता हो कि इस सदन के दूसरे सदस्य की क्रिमिनल्स के साथ, स्मगलर्स के साथ दोस्ती है, उसका नेक्सस है तो क्या इस सदन के सम्मान की रक्षा हो सकती है, यह मैं आपसे जानना चाहता हूं और इसीलिए मैं आपके सामने इस बात का जिक्र कर रहा हूं और अगर मुझसे कोई गलती हो तो मुझको सदन यह बता दे कि एक सम्मानित सदस्य ने दूसरे सदस्य पर किस तथ्य के आधार पर ये आपरोप लगाए हैं? इसलिए मैं यह चाहूंगा, चूंकि यह मामला प्रिविलेज कमेटी के सामने मैंने रखा है इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा कि यह हर अखबार में छपा है। देश के किसी हिस्से के अखबार का जिक्र मैं करूं, हर अखबार में यह बात छपी है और उससे इस सदन की मर्यादा घटी है। अगर जिनके बारे में कहा गाय है यह बात सच है तो भी यह प्रिविलेज का मामला है कि एक सदस्य का ऐसा संबंध है और अगर ऐसी बात नहीं है तो जिस सदस्य ने कहा है, मैं उनका नाम ले रहा हूं, श्री रामदास अग्रवाल जी ने यह बात कही है ... **(व्यवधान)**... और अहमद पटेल जी के बारे में यह बात कही है। सारे सदन के ... **(व्यवधान)**... अगर उनके पास कोई जानकारी है, चूंकि इसमें वोहरा कमेटी का जिक्र है, हम लोगों को सरकार ने जो वोहरा कमेटी की रिपोर्ट दी है, उसमें कहीं इस बात की जानकारी नहीं है। अगर उनके पास कोई ... **(व्यवधान)**... कोई नाम नहीं है वोहरा कमेटी रिपोर्ट में लेकिन अगर रामदास अग्रवाल जी के पास कोई नाम या दस्तावेज था तो ऐसे किसी दस्तावेज की जानकारी सदन को दी जानी चाहिए थी। इस सदन की मर्यादा का प्रेस के माध्यम से मखौल उड़ाने का उन्हें कोई हक नहीं था। इसलिए मैं चाहूंगा कि इस प्रिविलेज के मामले में आप अपनी राय तत्काल इस सदन को दें ताकि इस सदन की गरिमा को बचाया जा सके।।

श्री मोहम्मद सलीम: मैंने नोटिस दिया है। ..**(व्यवधान)**...

उपसभापति मोहम्मद सलीम का भी नोटिस है। His name is also there on the same issue.

मोहम्मद सलीम: मैं दो रोज़ से इंतजार कर रहा हूं। मैंने नोटिस दिया है।

उपसभापति बोलिए। ...**(व्यवधान)**...

श्री मोहम्मद सलीम (पश्चिमी बंगाल): उपसभापति महोदया, मामला हंसने का नहीं है, गंभीर मामला है। अभी इस सवाल पर हमारे दिग्विजय सिंह जी ने बताया है। रामदास अग्रवाल जी इस सदन के एक मान्यवर

सदस्य हैं और वे अपनी राजनीति के कारण भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं राजस्थान प्रदेश के। सदन यहां चल रहा है। पिछले कई रोज़ से वोहरा कमेटी की रिपोर्ट पर बहस भी चल रही है और हमने मांग भी की थी कि क्रिमिनल्स और पॉलिटीशियंस की नेक्सस को तोड़ना पड़ेगा, उसके लिए कुछ सही तरीके से कदम उठाना पड़ेगा। इसमें कोई दो राय नहीं है लेकिन दिक्कत यह हुई है कि जो रिपोर्ट चव्हाण साहब ने यहां पेश की, हम लोगों ने उसे देखा। राम दास अग्रवाल जी कहते हैं कि उनके पास रिपोर्ट का हिस्सा है और अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक **He alleged that documents attached to the Vohra Committee Report which name them have been withheld by the Government.**

हमारा जो प्रिविलेज है, वह टू प्रोंग है। या तो यह प्रिविलेज रामदास अग्रवाल जी के खिलाफ लिया जाए कि वह गलत कह रहे हैं कि श्री अहमद पटेल, जिनका नाम लिया गया है वह भी हमारे यहां सदस्य हैं, उनके पास नैक्सस है, उन्होंने सब क्रिमिनल्स के नाम भी लिए हैं। वह कहते हैं कि उनके पास डाक्यूमेंट्स हैं। तो सदन को यह मालूम होना चाहिए और अगर श्री रामदास अग्रवाल जी के खिलाफ यह प्रिविलेज नहीं होता है तो चव्हाण जी के खिलाफ यह प्रिविलेज होता है कि उन्होंने यहां पर जो डाक्यूमेंट्स पेश किये हैं, उसमें यह बात नहीं है। **There cannot be two Vohra Committee reports, There cannot be two parts of the Vohra Committee Report.**

या तो चव्हाण जी एक हिस्सा यहां से हटा रहे हैं, जो रामदास अग्रवाल जी के पास है। तो वह पेपर ले होने चाहिए सदस्यों को मालूम होना चाहिए। किन्तु अखबार में या न्यूज़पेपर में या देश के कोने-कोने में जाकर यह बात कहने से न तो सदन की मर्यादा बनती है, न राजनीतिज्ञों की और न ही सदस्यों की । पहले भी यह बात हुई है हमारी प्रिविलेज कमेटी के बारे में चेयरमैन के पास बहुत से नोटिस रखे रहते हैं लेकिन यह ऐसा सवाल नहीं है, जो रखा जाए। इसे आप प्रिविलेज कमेटी को जल्दी भेजिए। मुझे अफसोस है कि रामदास अग्रवाल जी यहां मौजूद नहीं हैं, वह चुनाव के मामले में गये हैं। मैं सोच रहा था कि [redacted] मैं उनके खिलाफ यहां प्रिविलेज दूं तो उन्हे यहां रहना चाहिए। इसलिए मैंने कल भी इंतजार किया लेकिन रामदास अग्रवाल जी यहां नहीं हैं चव्हाण साहब भी यहां मौजूद नहीं हैं। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अहमद साहब यहां मौजूद हैं और यह प्रिविलेज उनके खिलाफ भी बनता है क्योंकि उनका नाम लिया गया है। और रामदास अग्रवाल जी कहते हैं कि डाक्यूमेंट्स हमारे पास हैं। तो मैं ज्यादा लम्बा नहीं करना चाहता और यही कहना चाहता हूं कि सदन की मर्यादा और गरिमा को बनाए रखना चाहिए और यह जो क्लाउड्स पूरे मुल्क में बने हैं, जो बादल घिरे हैं, उनको साफ होना चाहिए और इसके लिए प्रिविलेज कमेटी इसे टेकअप कर सकती है और टेकअप करके रामदास जी से डाक्यूमेंट्स मांगे जाएं और उन्हें यहां सदन में पेश किया जाए नहीं तो नहीं तो उनके खिलाफ ऐक्शन लेना चाहिए और अगर वह डाक्यूमेंट्स प्लेस कर देते हैं तो चव्हाण जी को पकड़ा जाए कि उन्होंने सदन को गुमराह क्यों किया। धन्यवाद।

†[شری محمد سلیم (پچھمی بنگال): اپ سبھا پتی مہودیہ۔ معاملہ سننے کا نہیں بلکہ گمبھیر معاملہ ہے۔ ابھی اسی سوال پر ہمارے دگ وجے سنگھ نے بتایا ہے۔ رام داس اگروال جی اس سدن کے مانیہ سدسیہ ہیں

اور وہ اپنی راجنیتی کے کارن بھارتیہ جنتا پارٹی کے ادھیکش راجستھان پردیش کے۔ سدن یہاں چل رہا ہے۔ پچھلے کئی روز سے ووہرا کمیٹی کی رپورٹ پر بحث بھی چل رہی ہے اور ہم نے مانگ بھی کی تھی کہ کرمنل اور پولیٹیشن کی نیکسس کو توڑنا پڑے گا۔ اسکےلئے کچھ صحیح طریقے سے قدم اٹھانا پڑے گا۔ اسمیں کوئی دو رائے نہیں ہیں لیکن دقت یہ ہوئی ہے کہ جو رپورٹ چوہان صاحب

نے یہاں پیش کی۔ ہم لوگوں نے
اسے دیکھا۔ رام داس اگروال
جی کہتے ہیں کہ ان کے پاس رپورٹ
کا حصّہ ہے اور اخبار کی رپورٹ
کے مطابق :]

He alleged that documents attached to the Vohra Committee Report which name them have been withheld by the Government.

†[ہمارا ایک پریویلیج ہے :
"منتر پیر گوف" ہے۔ یا تو یہ پریویلیج رام
داس اگروال جی کے خلاف لیا جائے کہ

وہ غلط کہہ رہے ہیں کہ منتری احمد پٹیل جی
کا نام لیا گیا ہے وہ بھی ہمارے یہاں
مد ہیں ہیں ان کے پاس "ٹریلس" ہے
انہوں نے سب کو منتری کا نام بھی لے رہیں۔
وہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس ڈاکیومنٹس ہیں۔
تو سدن کو یہ معلوم ہونا]

†[چاہئے اور اگر منتری رام داس
اگروال جی کے خلاف یہ پریویلیج نہیں
ہوتا ہے تو چوان جی کے خلاف یہ پریویلیج
ہوتا ہے کہ انہوں نے یہاں پیپر جو ڈاکیومنٹس
پیش کئے ہیں اس میں یہ بات نہیں ہے:]

There cannot be two Vohra Committee Reports. There cannot be two parts of the Vohra Committee Report.

†[یا تو چوان جی استعفیٰ
یہاں سے ہٹا رہے ہیں جو رام داس
اگروال جی کے پاس ہے۔ تو وہ پیپر لے
ہونے چاہئیں۔ سدسیوں کو معلوم ہونا
چاہئے۔ لیکن اخباروں یا نیوز پیپر میں
یا دیش کے کونے کونے میں جا رہی بات

پھیلنے سے نہ تو سدن کی مریادا بنتی ہے
نہ سرکار کی اور نہ ہی سدسیوں کی۔
یہ پہلی بار کی بات ہوئی کہ ہماری پریویلیج
کے بارے میں چیئرمین کے پاس بہت سے
نوٹس دئے جاتے ہیں لیکن یہ ایسا سوال
نہیں ہے جو رکھا جائے۔ اسے آپ "پریویلیج
کمیٹی" کو جلدی بھیجئے۔ مجھے افسوس
ہے کہ رام داس اگروال جی یہاں موجود
نہیں ہیں وہ چناؤ کے معاملے میں لگے
ہیں۔ میں سوچ رہا تھا کہ اگر میں
ان کے خلاف یہاں پریویلیج دوں تو
انہیں یہاں رہنا چاہئے۔ میں
نے کل انتظار کیا لیکن رام داس
اگروال جی یہاں نہیں ہیں۔ چوان
صاحب بھی یہاں موجود نہیں ہیں۔
میں آپ سے گزارش کروں گا کہ
احمد صاحب یہاں موجود ہیں

اور یہ پریس ریلیز انکے خلاف چھاپا ہے
کیونکہ انکا نام لیا گیا ہے۔ اور
رام داس اگروال جی کہتے ہیں
کہ یہ ڈاکیومنٹس ہمارے پاس ہیں
تو میں زیادہ لمبا نہیں کرنا چاہتا

اور میں کہنا چاہتا ہوں کہ سدن کی مریادا
اور گریما کو بنائے رکھنا چاہیے اور یہ جو
کلاوڈس ہمارے ملک میں بنے ہیں۔ جو بادل
گھرے ہیں۔ انکو صاف ہونا چاہیے اور
اسکے لیے پریس ریلیز لیکر اسکی تحقیق آپ
کر سکتی ہیں اور تحقیق آپ کرکے رام داس
جی سے یہ ڈاکیومنٹس مانگے جائیں اور
انہیں یہاں سدن میں پیش کیا جائے
نہیں تو انکے خلاف ایکشن لینا چاہیے
اور اگر یہ ڈاکیومنٹس پیش کرتے ہیں
تو جو آل جی کی [illegible] آ جائے کہ انہوں
نے سدن کو گمراہ کیوں کیا۔ (مداخلت)

+[شری سکندر بخت: مہودیہ -
پہلے احمد صاحب کو بولنے دیا جائے۔
(مداخلت) ......]

श्री एस०एस० अहलुवालिया: उपसभापति महोदया ...(व्यवधान)

उपसभापति: आप सब लोग इसी बात पर बोलने जा रहे हैं। ...(व्यवधान)

श्री एस०एस० अहलुवालिया: महोदया, वह तो अपना जवाब दे देंगे पर सदन के सारे सदस्यों के दिल में इस बारे में रोष है।

श्री सिकंदर बख्त: महोदया, पहले अहमद साहब को बोलने दिया जाए। ... **(व्यवधान)**

+[شری سکندر بخت: میں کسی کو
بولنے سے نہیں روک رہا ہوں۔ کسی

श्री एस०एस० अहलुवालिया: उनको भी बोलने देंगे। ...**(व्यवधान)**

SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN: We want to say something. *(Interruptions)*.

SHRI V. NARAYANSAMY: He is a Member of your party who has levelled allegations against one of the hon. Members of this House. *(Interruptions)*. You cannot get away with that. *(Interruptions)*.

श्री सिकंदर बख्त: मैं किसी को बोलने से नहीं रोक रहा हूं। किसी को बोलने से रोकने का मेरा कोई मकसद नहीं है। मैं चाहता हूं कि अहमद साहब पहले ज़रूर बोलें और फिर उसके बाद आप लोग बोलें।

کو بولنے سے روکنے کا میرا کوئی مقصد نہیں
ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ احمد صاحب پہلے
ضرور بولیں اور پھر اسکے بعد آپ لوگ
بولیں گے۔]

श्री एस०एस० अहलुवालिया: महोदया, सब सदस्यों के मन में इस बात का रोष है और यह परम्परा चली आ रही है कि सदन में वाद-विवाद में बहुत सारे आरोप और प्रत्यारोप लगाए जाते हैं पर एक परम्परा सी चल गयी है कि किसी भी पार्टी के मैंबर से किसी का कोई विरोध हो तो वह उसको स्मगलर बोलने लगता है, कोई क्रिमिनल बोलने लगता है, कोई एजेंट कह देता है। यह एक परम्परा सी चल गयी है। इस चीज को रोकने की जरूरत है और इसके लिए सदन की एक कमेटी होनी चाहिए, इस पर सदन को गौर फरमाने की जरूरत है। उसके साथ-साथ मैं कहना चाहूंगा कि इसकी शुरुआत कहां से

हुई। इसके शुरुआत वोहरा कमेटी की रिपोर्ट से हुई। वोहरा कमेटी की रिपोर्ट में एक पैराग्राफ में कहा गया है कि ऐसी क्रिमिनल्स, स्मगलर्स, लोकल कॉरपोरेशन में, असेंबली में और नेशनल पार्लियामेंट में पहुंच गये। उसका पूरा ब्यौरा नहीं मिला पर उस डिबेट को इनीशिएट करते हुए हमारे एक माननीय सदस्य प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा जी ने वोहरा कमेटी की रिपोर्ट का एक हिस्सा यहां पर पढ़कर सुनाया था। ये उसको पढ़कर नाम सुना रहे थे। जो हिस्सा इन्होंने रामदास अग्रवाल को दिया, राम दास अग्रवाल ने पेपर के उस हिस्से के बेसिस पर माननीय सदस्य पर आरोप लगाया है। महोदया, मैं कहता हूं कि एक तरफ तो आफिशियल सीक्रेट ऐक्ट चलता है और दूसरी तरफ पता नहीं कहां से रिपोर्ट आर्थटिकेट करके टेबल पर आ जाती है, सदनों में उछाली जाती है और एक दूसरी पर आरोप लगाए जाते हैं। इस परम्परा को रोकने की जरूरत है। मैं कभी उमीद नहीं करता था कि इस सदन के सदस्य रामदास अग्रवाल जी, जो इस सदन के सम्मानित सदस्य हैं और राजस्थान में बी०जे०पी० के अध्यक्ष हैं...

श्री सत्य प्रकाश मालवीय: उनके साथ राम का नाम भी जुड़ा हुआ है।

श्री एस० एम० अहलुवालिया: राम के दास हैं और उन्होंने उनके साथ हमारा अहमद भाई का नाम जोड़ा। मैं अहमद भाई की तुलना में गऊ के साथ करता हूं, इतने सज्जन पुरूष हैं और उन पर यह आरोप लगाना कि स्मगलरों के साथ उनका संबंध है, यह बहुत ही अशोभनीय बात है। इसलिए मैं चाहूंगा कि सिकन्दर बख्त साहब और उस पार्टी के जितने माननीय सदस्य हैं वे इसको कंडेम करें और आगे ऐसी शुरुआत न हो, इस पर भविष्य के लिए रोक लगाई जाय, इस पर अंकुश लगाया जाए।

SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN (TAMIL NADU): It is a matter of shame for this House, Madam, to even talk about it for a minute. I would like to place on record that my hon. colleague, Mr. Ahmed Patel, is one of the most honest and respected political leaders in the country today and that for another hon. colleague to make these wild and irresponsible allegations against him is nothing short of a crime. My suggestion is that in this House where Members make charges against other Members, the Privileges Committee alone is not enough. Madam, as hon. colleagues have already said, it has appeared in all the major newspapers. We do not know how many people are going to read what we say now. We do not know what is going to happen after the Privileges committee report comes. No matter what happens, it is not possible for us to allow these allegations against such a highly respected leader. I dare anybody to point a finger at him, Madam. All of us look at him with great respect. Not one finger has ever been pointed or will be pointed at him, and, for another hon. Member to just get up and make these irresponsible allegations, the Privileges Committee is not enough. Mr. Ramdas Agarwal should be admonished by the Chair and by all the Members of this House. That is not enough. I am sorry to say that the other Members of the BJP also make these allegations in the Press. Sushmaji has made allegations against her own leader in the Press. You have to put a stop to these kinds of allegations. Sushmaji has said about the Congress women that they are all here only for glamour. She says that Shri Sikander Bakht cracks non-vegetarian jokes. Making these kinds of allegations against people is very wrong. It was all the "Savvy" Magazine. *(Interruptions)*

SHRIMATI SUSHMA SWARAJ: What is this? *(Interruptions)*

THE DEPUTY CHAIRMAN: Let us... *(Interruptions)*

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा: इन्होंने मेरा नाम लिया है ...**(व्यवधान)**...

THE DEPUTY CHAIRMAN: Let us please... *(Interruptions)*

श्री सिकन्दर बख्त: इसके बाद मुझे मौका दिया जाना चाहिए, इन्होंने मेरा नाम लिया है ...**(व्यवधान)**...

THE DEPUTY CHAIRMAN: Now, let us not ... *(Interruptions)* Please... *(Interruptions)*

श्रीमती सुषमा स्वराजः आपने ...(**व्यवधान**)...

THE DEPUTY CHAIRMAN: Sushmaji, ...*(Interruptions)*

SHRI V. NARAYANASAMY: Madam, ...*(Interruptions)*

THE DEPUTY CHAIRMAN: Narayanasamyji, Please. ...*(Interruptions)*

श्री सिकन्दर बख्तः इसके बाद मुझे मौका दिया जाना चाहिए, इन्होंने मेरा नाम लिया है।...(**व्यवधान**)

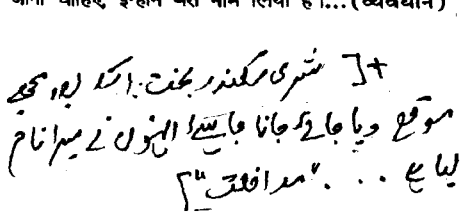

श्रीमती सुषमा स्वराजः आप ...(**व्यवधान**)... तुम्हारे लोग तो महिलाओं को तंदूर में डालते हैं।

श्री सुरेन्द्र कुमार सिंगलाः आप तो परमानेंट तंदूर ...(**व्यवधान**)... आपके राजस्थान में 17 क्रिमिनल हैं। ...(**व्यवधान**)...

THE DEPUTY CHAIRMAN: आप बैठिए। *(Interruptions)*

I am not allowing you. Please sit down...*(Interruptions)*

I have not permitted you and I would not allow you to speak in ...*(Interruptions)* No. I am not allowing. Please keep quiet. ...*(Interruptions)*

SHRIMATI SUSHMA SWARAJ: Madam, ...*(Interruptions)*

THE DEPUTY CHAIRMAN: *Aap baithiye.*

श्रीमती सुषमा स्वराजः*

THE DEPUTY CHAIRMAN: No. I am not allowing it. It is not going on record. *(Interruptions)* Just one minute.

SHRI V. NARAYANSAMY: Madam, ...*(Interruptions)*

THE DEPUTY CHAIRMAN: Narayanasamyji, I am not allowing you. Please keep quiet. Everybody should

SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN: Madam, ...*(Interruptions)*

THE DEPUTY CHAIRMAN: Please, Jayanthiji. The question is serious. *(Interruptions)* Can I have silence? It never happened in this House. You have taken privileges of the Members of Parliament for things happening outside, irresponsible behaviour by officers, disrespect shown by the Police Officers, Members arrested and no information being given to the Chairman, and so on and so forth. But in my experience and knowledge, I think it is the first time that one hon. Member of this House makes an allegation against another hon. Member of this House. To me, all of you are honourable and every Member of Parliament belonging to every political party has to be very responsible when he makes any statement on the floor of the House or even in public because the newspapers tkae it responsibly.

Whether you are speaking on the floor of the House as an M.P. or you are speaking outside to the press you still remain a Member of Parliament and you are taken seriously. What Mr. Ramdas Agarwal has said I have also seen the report because the Privileges Committee papers were sent to me — is a matter of anguish. We are discussing the nexus between criminals and politicans and bureaucrats and so on and so forth, it is not only politicians, but the whole thing also includes every person. While thinking of finding ways and means to stop these kinds of happenings in the country, I have been discussing with Shuklaji and with Chairman Saheb and hon. Speaker Saheb that we should form an Ethics Committee. We are in the process of forming an Ethics Committee because we don't want to take everything under a privilege. We want to create an atmosphere of ethics amongst ourselves. Let us judge our own conduct by ourselves. We all belong to different political parties, we live in a democratic system and we denigrate another Member

of Parliament, from this side or that side, by making allegations from the newspapers without substantiating them. I think it is highly objectionable. I don't know what Chairman Saheb is going to do, what Shri Ahmed Patel has to say. There are many Members from both the sides who are anguished and who want to say something, but I think, let Mr. Ahmed Patel say something and Mr. Sikander Bakht say something to whose party the Member belongs. *...(Interruptions)...*

SHRI V. NARAYANASAMY: Madam, *...(Interruptions)*

THE DEPUTY CHAIRMAN: Please maintain the dignity of the House. *...(Interruptions)...* Let Mr. Ahmed Patel say something. Please sit down. I don't want to bring down the dignity of the House by allowing levelling of charges against each other, that somebody calls another black and he should call him again black. No. We don't want to follow this kind Parliament calling each other's name. Let us find the ways and means. If Mr. Agarwal has made any allegation, let him substantiate it before the Privileges Committee or before the House instead of making an allegaltion in the Newspaper. He should be prepared about it. Mr. Ahluwalia said that the hon. Member has authenticated a paper. It is not so because I have not gone through any document. They have not authenticated. *...(Interruptions)...*

SHRI V. NARAYANASAMY: Mr. Malhotra read the names. *...(Interruptions)...*

प्रो॰ विजय कुमार मल्होत्रा: उन्होंने मेरा नाम लिया है, इसलिए मुझे बोलने दीजिये **(व्यवधान)**

उपसभापति: मल्होत्रा जी, मैं आपको मौका दूंगी। सवाल यह होता है, इसलिए मैंने दो दिन पहले जब जयपाल रेड्डी जी बोल रहे थे इसकी तरफ इशारा किया था कि हम अपना भाषण जब यहां करते हैं तो कोई कागज़ हाथ उठा कर कह देते हैं कि यह फलां सिक्रेट रिपोर्ट है।

Neither I have any means to know whether you are reading from a secret report nor the Members have knowledge of it, and then it is picked up by the newsppaer and printed in highlights. That is the denigration of this House and the Member or anybody about whom the allegation is levelled. Everytime I ask a Member who is reading from any document to authenticate it and lay it on the Table of the House and if he is not able to authenticate it, then he should withdraw it and he should not make such an allegation.

श्री अहमद पटेल (गुजरात): उपसभापति महोदया, जो मुद्दा सदन में मैं उठाने वाला था, मैं आभारी हूं और धन्यवाद देता हूं सम्मानित सदस्य दिग्विजय सिंह जी का और अन्य सदस्यों का जिन्होंने वह मुद्दा आज सदन के सामने रखा है। यह बहुत ही गंभीर बात है। मैं बहुत ही भरे मन और व्यथित भाव से इस महान सदन में आज अपने बारे में कुछ कहने के लिए खड़ा हुआ हूं। कभी सोचा भी नहीं था, कि मुझे अपने बारे में भी इस महान सदन में कुछ सफाई देनी होगी या कुछ कहना पड़ेगा। मैं किसी पर बेबुनियाद आरोप लगाने के लिए या किसी पर कीचड़ उछालने के लिए या किसी को गोली गलौज करने के लिए नहीं खड़ा हुआ हूं क्योंकि यह मेरी आदत नहीं है, यह मेरा पेशा नहीं है। यह काम जो करते हैं उनको यह काम मुबारक हो।

मैडम, सार्वजनिक जीवन की कुछ शालीनता और मर्यादा होती है। मैं समझता हूं कि हम सब यह मानते हैं और हमें सदैव सार्वजनिक जीवन की मर्यादा और शालीनता का निर्वाह करना चाहिए। इसीलिए मेरा सार्वजनिक जीवन या मेरी राजनैतिक कार्य जैसे दिग्विजय सिंह जी ने कहा कि एक खुली किताब की तरह है और हर एक माननीय सदस्य की राजनीति या उनका सार्वजनिक जीवन एक खुली किताब की तरह होना चाहिए। अगर सम्मानित सदस्य रामदास अग्रवाल जी को कुछ कहना था, अगर उनके पास कोई ठोस सबूत या कागजात थे तो इसी सदन में चर्चा चल रही थी क्रिमिनलाइजेशन आफ पोलिटिक्स, की वे इसी सदन में रख सकते थे, सबूत रख सकते थे। मेरा ख्याल है कि जो कुछ भी कहना था वह कह सकते थे। लेकिन उन्होंने यह उचित नहीं माना। उन्होंने जयपुर में जाकर प्रेस कान्फ्रेंस में कुछ आपत्तिजनक बातें की। मैं नहीं जानता कि उन्होंने ये बातें वहां पर क्यों की, किस वजह से कीं।

हो सकता है मैं ए०आई०सी०सी० की तरफ से राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी का प्रभारी हूं, वहां नगरपालिका के चुनाव चल रहे हैं इसीलिए उस चुनाव में शायद उनके दल को कुछ फायदा होने वाला हो तो राजनैतिक स्वार्थ के लिए यह मुद्दा उठाया हो। मैं उसमें नहीं जाना चाहता। लेकिन मैं जो बात करने जा रहा हूं वह यह है कि जब कोई राजनीति में आता है या सार्वजनिक जीवन में आता है तो कम से कम अपने क्षेत्र के लिए कुछ करने के लिए आता है, राष्ट्र के लिए कुछ करने के लिए आता है, समाज के लिए कुछ करने के लिए आता है, सोसाइटी के लिए कुछ करने के लिए आता है। किसी की राजनैतिक स्थिति या किस का सार्वजनिक जीवन कोई एक दो साल या एक दो महीने में नहीं बन जाता है। इसमें सालों लग जाते हैं, मेहनत करनी पड़ती है। ये सम्मानित सदस्य सब मेरे साथ सहमत होंगे कि यह सब करने के बाद किसी की राजनैतिक जीवन बनती है। किसी पर इस तरह का बेबुनियाद आरोप लगाकर किसी को नुकसान पहुंचाने की बात करना या किसी पर लांछन लगाना, मैं समझता हूं कि इससे बड़ी शर्मनाक बात कोई नहीं हो सकती है।

महोदया, मैंने अपने सार्वजनिक जीवन की शुरुआत ग्रास रूट लेविल पर की है, ब्लाक लेविल से की है। सबसे पहले मैं ताल्लुका परिषद में चुना गया एक सदस्य के नाते। वहां ताल्लुके परिषद का मैं अध्यक्ष बना, उसके बाद जिला परिषद का सदस्य बना। उसके बाद लोकसभा में तीन टर्म तक रहा, तीन बार मैं चुना गया और आज राज्य सभा में हूं। मैंने कभी ऐसा गलत काम नहीं किया जिसकी वजह से मेरे दल को मेरे दल के जो लीडर हैं उनको या मेरे परिवार के किसी सदस्य को कोई शर्म महसूस करनी पड़े । मैं आज प्रतीज्ञा के साथ कहता हूं कि कभी ऐसा काम नहीं करूंगा जिसकी वजह से मेरे दल, मेरे लीडर या मेरे परिवार की बदनामी हो।

जहां तक प्रविलिज का सवाल है, मैं उस पर कुछ कहना नहीं चाहूंगा। यह आपका अधिकार है। आपको जो निर्णय देना है दीजिए। लेकिन में तो लीडर आफ दा आपोजीशन श्री सिकन्दर बख्त जो यहां बैठे हैं, जो यहां मौजूद हैं उनकी ईमानदारी पर भरोसा रखता हूं। मैं तो आपके माध्यम से उनको अर्ज करूंगा, उनको दरख्वास्त करूंगा कि वे ही इसके बारे में जांच करें तहकीकात करें और वे जो रिपोर्ट देंगे वह रिपोर्ट मुझे मंजूर होगी और अगर उसमें मेरा कहीं पर भी इन्वाल्वमेंट पाया गया तो मैं न सिर्फ राज्य सभा की सीट छोड़ दूंगा बल्कि पोलिटिकल लाइफ को ही छोड़ दूंगा, सार्वजनिक जीवन को ही छोड़कर चला जाऊंगा। अगर वे चाहें तो उनके साथ मेरे दल के किसी सदस्य को कमेटी में लेने की जरुरत नहीं है। विरोधी दल के किसी को भी ले लें और जांच करें तथा रिपोर्ट दें। अगर उनमें से कहीं भी जरा सा भी इन्वाल्वमेंट पाया जाएगा तो मैं राज्य सभा की मेंम्बरशिप छोड़ दूंगा। मैं आज ही उनको अपना रिजिगनेशन भेज दूंगा। वे सीधे चेयरमैन साहब को दे सकते हैं। उसको वेरीफाई करे की भी जरूरत नहीं है और में राजनीति छोड़कर चला जाउंगा।

मुझे और कुछ इससे ज्यादा नहीं कहना है। मैं समझता हूं कि यह सबकी जिम्मेदारी है, कि किसी पर बेबुनियादी आरोप न लगाएं जाएं जैसा कि मैंने कहा कि पोलिटिकल कैरियर बनाने में सालों लग जाते हैं। मेहनत करनी पड़ती है, मजदूरी करनी पड़ती है तब जाकर किसी का पोलिटिकल कैरियर बनता है। मुझे और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं कहना है। मैं सम्मानित सदस्यों का आभारी हूं, धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने यह मुदपदा - जो न सिर्फ अहमद पटेल का है बल्कि सभी सदस्यों के सम्मान का सवाल है - उठाया। इसके लिए मैं उनको बहुत धन्यवाद देता हूं, उनका आभारी हूं।

श्री सिकन्दर बख्तः सदर साहिबा, बात बहुत नाजुक मकाम पर आ गई है। अहमद पटेल साहब ने जो कुछ कहा है मेरा दिल सचमुच भर आया है। आपने बार-बार इस चीज़ का जिक्र किया है कि जो बात यहां कही जाए उसको सब्स्टेंशिएट किया जाए। दिग्विजय सिंह जी ने प्रिविलेज का सवाल बना कर उठाया है। रामदास अग्रवाल जी ने जो कुछ कहा है, अखबारों में आया है। सब्स्टेंशिएशन का क्या तरीका है? बदकिस्मती से वोहरा कमेटी की रिपोर्ट भी हमने उचटती नजरों से पढ़ी है। रामदास जी ने जो कुछ कहा है, अगर कहा है तो उसका इलज़ाम अहमद पटेल साहब पर लगा। लेकिन वोहरा कमेटी ने तो मेरे और अहमद पटेल के पूरे काबीले को, मेरा मतलब मुसलमानों के कबीले से नहीं है, बल्कि सियासतदानों के कबीले से है, उनको गुनाहगार ठहरा दिया है। किसी एक पर इलज़ाम नहीं लगाया है लेकिन पूरे कबीले पर इलज़ाम लगाया है। मैं ऐसा मानता हूं सदर साहिबा कि इस हाउस में जितने मेम्बर यहां बैठे हैं, वे किसी न किसी रिश्ते मे जुड़े हुए हैं। इलजाम मुझ पर भी लगाया जा सकता है। मैं कोई दावेदार नहीं हूं कि मेरा रूवां-रुवां बिल्कुल दूध से धुला हुआ है। लेकिन हम लोग जिस रिश्ते से बंधे हुए हैं, इस सदन के हर मैम्बर की इज्जत हम सब की इज्जत होनी चाहिए। अगर

वह हमारा ज़र्फ नहीं है तो हम लोग, एक सदन में बैठनें का हमको हक नहीं होना चाहिए। इलज़ाम दुरूस्त है या सही है, वह सब्स्टेंशिएट होता है या नहीं होता है, यह आप जानें, आपका कानून जाने, प्रिविलेज जाने कि मैं ऐसा मानता हूं। अगर मैं कोई गलती करता हूं, गुनाह करता हूं तब भी इस पूरे सदन को मेरी रहबरी का हक है, रिश्ता है।

"सफ़र जो इक शर्ते जुस्तुजु है,
मगर जो हो शर्ते हमरही भी,
मेरे बहकने में साथ देगा,
यह पूछ लू रह-बर से पहले।"

मैं अगर बहकूंगा भी तो भी तो रिश्ता मेरा इस सदन में हर बैठे हुए सदस्य से है। वह टूट नहीं सकता। मैं अच्छा हूं तो मुझे आप सीनें से लगायेंगे। मैं बुरा हूं तो आप मुझे अपने सीने से दूर कर देंगे। इनफरादी तौर पर, व्यक्तिगत तौर पर हमारे रिश्तों में यह एहतियात रहनी चाहिए कि हम किसी भी सियासी ख्याल की, नुक्ता-ए-ख्याल की नुमायंदगी करते हैं, लेकिन हमारा एक रिश्ता और भी है। बदकिस्मती क्या हो गई है कि आजकल की तमाम सियासी तर्जे अमल में जाति रिश्तों की नज़ाकतों को नज़रअंदाज़ कर दिया गया है। मैं अहमद पटेल साहब को अजीज़ रखता हूं, क्योंकि वे इस सदन के मैम्बर है। अहमद पटेल साहब पर जो इलज़ाम रामदास जी ने लगाया है, रामदास जी यहां नहीं है। ठीक है, यह नहीं है, मैं उस सवाल को बिल्कुल गैर जरुरी समझता हूं। लेकिन इसको मानता हूं बिल्कुल कि हमारे रिश्तों के दरम्यान तहज़ीब से कम दर्जे की बात नहीं आनी चाहिए।

मेरी ख्वाहिश थी कि रामदास जी यहां होते तो वह बता सकते कि यह क्या है? मगर बता सकने के बाद भी यह किस्सा खत्म नहीं होता।

मैंने 1947 से पहले की राजनीति देखी है। कट्टरता है सियासी मुखाल्फत में, लेकिन जब जातों के मामले आते थे, जातीय मामले आते थे तो हर सियासतदान दोस्त के जातीय मामले में दोस्त की मदद करने की कोशिश करता था। अब वह वजादारियां टूट रही है और मैं तो बहुत भारी दिल के साथ यह कहना चाहता हूं कि वह वजादारियां, वह खूबसूरतियां जो हमारे रिश्तों में रहनी चाहिए, हमें उन्हें वापिस लाना चाहिए।

रामदास जी की हिमायत में मुझे कुछ नहीं कहना है। रामदास जी खुद ही आकर बात कर सकते है। दिग्विजय जी ने कहा कि प्रिविलेज कमेटी में यह सवाल जाएगा। तो इस के बारे में मैं कुछ इसलिए नहीं कहना चाहता क्योंकि मैं खुद आप के साथ प्रिविलेज कमेटी का मेंबर हूं, लेकिन अहमद पटेल साहब का नाम जिस तरस से बीच में आया है, मेरे बस में नहीं कि मैं उस तमाम साइकल को रिवर्स कर सकूं। मेरी समझ में नहीं आ रहा और मुझे अफसोस है कि हम लोग अपने रिश्तों को अच्छा नहीं कर सके। प्रिविलेज के बारे में आप तय करें। हाउस तय करे जो कुछ कहना है, रामदास जी को

सब्स्टेंशिएशन मांगना है, उन से मांगा जाए, मगर मेरे ख्याल से इस रास्ते पर चलकर इस का कोई हल नहीं निकल सकेगा। अगर हम अहमद पटेल साहब के साथ जो वाकया गुजरा है, उस को मिसाल बनाकर अपने रिश्तों को मुहब्बत रिश्ता बना सकते है एक हाउस का मेंबर बनकर, तो इस को बेहतर समझूंगा। धन्यवाद।

†[قائد حزب مخالف "شری سکندر بخت": صدر صاحب۔ بات بہت نازک مقام پر آگئی ہے۔ احمد پٹیل صاحب نے جو کچھ کہا ہے میرا دل بیچ بیچ گھبرایا ہے۔

آپ نے بار بار اس چیز کا ذکر کیا ہے کہ جو بات یہاں کہی جائے اسکو سبسٹینشیٹ کیا جائے۔ ڈگ وجے سنگھ جی نے پریولیج کا سوال بنا کر اٹھایا ہے۔ اخباروں میں آیا ہے۔ سبسٹینشیئیشن کا کیا طریقہ ہے؟ بدقسمتی سے دوہا کمیٹی کی رپورٹ بھی ہم نے اخباروں سے پڑھی ہے۔ رام داس جی نے جو کچھ کہا ہے اگر کہا ہے تو اسکا الزام احمد پٹیل صاحب پر لگا۔ لیکن دوہا کمیٹی نے تو سیرے اور احمد پٹیل کے پورے فیصلے کر۔ میرا مطلب مسلمانوں کے قبیلے سے نہیں بلکہ سیاستدانوں کے قبیلے

سے ہے۔ انکو گناہ گار ٹھہرا دیا ہے۔ کسی ایک پر الزام نہیں لگایا ہے لیکن پورے سبھی پر الزام لگایا ہے۔ میں ایسا مانتا ہوں صدر صاحب کہ اس ہاؤس میں جتنے ممبر یہاں بیٹھے ہیں وہ کسی نہ کسی رشتے میں جڑے ہوئے ہیں۔ الزام مجھ پر لگایا جا سکتا ہے۔ میں کوئی دعویدار نہیں ہوں کہ میرا دامن بالکل دھبے کا دھلا ہوا ہے۔ لیکن ہم لوگ جس رشتے سے بندھے ہوئے ہیں اس سدن کے ہر ممبر کی عزت ہم سب کی عزت ہونی چاہیے۔ اگر ہمارا نہیں ہے تو ہم لوگ ایک سدن میں بیٹھنے کا ہمکو حق ہی نہیں ہونا چاہیے۔ الزام درست ہے یا صحیح وہ "سبسٹینشیٹ" ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے یہ آپ جانیں۔ آپکا قانون جانے۔ پر ہو لیکن جانے کہ میں ایسا مانتا ہوں۔ اگر میں کوئی غلطی کرتا ہوں۔ گناہ کرتا ہوں تب بھی اس پورے سدن کو میری ممبری کا حق ہے رشتہ ہے:

مصلحت وہ ایک متفرق جستجو ہے
مگر جو ہو متفرق ہو کے۔ مجھے
میرے بیٹے میں ساتھ دے گا
یہ پوچھو کون دراچی سے پہلے۔

میں اگر سمجھوں لگا بھی تو رشتہ میرا اس سدن میں ہو بیٹھے ہوئے ممبر سے سے ملے۔ وہ ٹوٹ نہیں سکتا۔ میں اچھا ہوں تو مجھے آپ سینے سے لگا لیں گے۔ میں برا ہوں تو آپ مجھے اپنے سینے سے دور کر دیں گے۔

انفرادی طور پر، ویکتی گت طور پر ہمارے رشتوں میں یہ احتیاط برتنی چاہیے کہ ہم کسی بھی سیاسی خیال کے، غلط خیال کی مخالفت کی مدد کریں لیکن

ہمارا ایک رشتہ اور بھی ہے۔ بدقسمتی کہنا ہوگی ہے کہ آجکل کی تمام سیاسی طور طریقوں عمل میں جاتی رشتوں کی منزلت کو نظر انداز کر دیا گیا ہے۔ میں احمد پٹیل صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں کیونکہ وہ اس سدن کے ممبر ہیں۔ احمد پٹیل صاحب پر جو الزام مسٹر رام داس جی نے لگایا ہے رام داس جی یہاں نہیں ہیں مخالف ہیں یہ نہیں ہیں۔ میں اس سوال کو بالکل غیر ضروری سمجھتا ہوں۔ لیکن اسکو مانتا ہوں بالکل کہ ہمارے رشتوں کے درمیان تہذیب سے کم درجہ کی بات نہیں ہونی چاہیے۔ میری خواہش تھی کہ رام داس جی یہاں ہوتے تو وہ بتا سکتے کہ یہ کیا ہے۔ مگر بتا سکنے کے بعد بھی یہ قصہ ختم نہیں ہوتا۔

میں نے ۱۹۴۷ سے پہلے کی راجنیتی
دیکھی ہے - کہتا تا ہے سیاسی مخالفت
میں - لیکن جب ذاتوں کے معاملے آتے
تھے - جاتے معاملے آتے تھے تو ہو
سیاسی ان دوست کو ذاتی معاملے
میں دوست کی مدد کرنے کی کوشش
کرتا تھا - اب وہ وقت اور یادیں رہ گئی
رہی ہیں اور میں تو بہت بھاری دل کے
ساتھ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ وقت وادیاں
وہ خوبصورت ہمارا رشتہ
میں رہتی تھا یہ پلیس میں انہوں نے دیا
لاتا چاہیے -

رام داس جی کی حمایت میں مجھے
کچھ نہیں کہنا ہے - رام داس جی خود
بھی اگر بات کر سکتے ہیں - لیکن ویسے
جی کہا کہ یہ پریویلیج کمیٹی میں یہ سوال
جائے گا تو اسکے بارے میں مجھے
اسلئے نہیں کہنا چاہتا تھا کیونکہ میں خود
اس کا ساتھ پریویلیج کمیٹی کا ممبر ہوں
لیکن احمد پٹیل صاحب کا نام جس طرح سے
بیچ میں آیا ہے مہر لیس میں نہیں کہ میں
اس تمام معاملے کو ریسورس کر دوں
میری سمجھ میں نہیں آ رہا اور مجھے
افسوس ہے کہ یہ لوگ اپنے رشتوں کو

اچھا نہیں کر سکتے - پریویلیج کے بارے
میں آپ طے کریں - مادام میں کچھ کہنا
چاہتا ہوں - رام داس جی سے
معافی ... مانگتا ہے ان سے
مانگا جائے - مگر میرے خیال سے اس
راستے پر چل کر اس کا کوئی حل نہیں
نکل سکتا - اگر ہم احمد پٹیل صاحب
کے ساتھ جو واقعہ ہوا ہے اسکو مثال
بنا کر اپنے رشتوں کو مہذب رشتہ
بنا سکیں تو میں ایک ماحول ... ہم
ہیں تو میں اسکو بہتر سمجھوں گا
شکریہ -

"ختم شد"

THE MAULANA AZAD NATIONAL URDU UNIVERSITY BILL, 1995.

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (DEPTT. OF EDUCATION AND DEPTT. OF CULTURE) (KUMARI SELJA): Madam, I beg to move for leave to introduce a Bill to establish and incorporate a University at the National level mainly to promote and develop Urdu language and to impart vocational and technical education in Urdu medium through conventional teaching and distance education system and to provide for matters connected therewith or incidental thereto.

The question was put and the motion was adopted.

KUMARI SELJA: Madam, I introduce the Bill.